राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

क्रमांकः प.1100/सहायता/रेस्टो/2025/320

दिनांक 29-09-2025

–:प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतिः–

शासन संयुक्त सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ. 8(09)आप्रएवंसहा/बाढ़/प्रस्ताव/2025/राजकाज 17869012 दिनांक 24.09.2025 द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 67/2025–2026 के कम में मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरूत्थान हेतु पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, डीडवाना–कुचामन ब्लॉक डीडवाना के 162 कार्यो हेतु राशि रूपये 324.00 लाख, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, डीडवाना–कुचामन ब्लॉक नावां के 106 कार्यो हेतु राशि रूपये 212.00 लाख, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, डीडवाना–कुचामन ब्लॉक परबतसर के 210 कार्यो हेतु राशि रूपये 401.50 लाख एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, डीडवाना–कुचामन ब्लॉक मकराना के 130 कार्यो हेतु राशि रूपये 260.00 लाख **कुल 608 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रूपयें 1197.50 लाख (अक्षरे रूपये ग्यारह करोड़ सतयानवे लाख पचास हजार मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन से एस.डी.आर.एफ. नॉर्म्स अनुसार तात्कालिक मरम्मत हेतु निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

1. विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों के रेस्टोरेशन पर न करें।
2. प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।
3. बजट की मांग एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार निर्धारित दर से गणना किये जाने के उपरांत ऑनलाईन विभाग से की जावेगी।
4. बिलों का भुगतान कार्यालय स्तर से किया जायेगा।
5. वे कार्य जो Defect Liability period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
6. बजट की मांग एसडीआरएफ नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair and periodical repair (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरांत ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के रेस्टोरेशन हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जाये।
7. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
8. कार्यकारी एजेन्सी का यह दायित्व है कि कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
9. कार्य पूर्ण होने के पश्चात् उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरांत बिल विपत्र कार्यालय हाजा को मय रिपोर्ट (कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार किये जाने की) प्रस्तुत करेगें।
10. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाई जावें। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण–पत्र जल संसाधन विभाग से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

Signature valid
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.09.29 12:35:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18030520

11. आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावें।
12. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं 2013 तथा योजना दिशा–निर्देश तत्सम्बंधी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जावें।
13. उक्त राशि का व्यय एसडीआरएफ नोर्म्स में अनुमत राजकीय भवनों के लिये ही किया जावे।
14. विभाग द्वारा स्वीकृत की गई राशि का उपयोग जिन भवनों का उपयोग किया जा रहा है, उन भवनों की मरम्मत हेतु ही किया जावें।
15. निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही जावें। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते में आहरण नहीं किया जावेगा।
16. निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावें। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2026 तक राजकोष में जमा करवाई जावेगी।
17. कार्य पूर्ण करवाये जाने के पश्चात् करवाये गये कर्यो का कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करें।
18. व्यय के लेखे महालेखाकार कार्या एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखे जावें।

(डॉ.महेन्द्र खड़गावत)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन
दिनांकः– 29-09-2025

क्रमांकः– सम/2025/321-327
प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. शासन संयुक्त सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
2. उपखण्ड अधिकारी, समस्त जिला डीडवाना–कुचामन।
3. कोषाधिकारी, डीडवाना–कुचामन।
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी कलेक्ट्रेट डीडवाना–कुचामन।
5. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समसा, नागौर।
6. संबंधित कार्यकारी एजेन्सी अधीशा० अभियन्ता, सार्वजनिक निर्मा० विभाग, डीडवाना-कुचामन
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, डीडवाना–कुचामन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त स्वीकृति के कम में नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति जारी करावें ताकि तदनुसार बजट की मांग की जा सके तथा आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक RAJKAJ Ref 16877134 दिनांक 30.07.2025 एवं RAJKAJ Ref 17869012 दिनांक 24.09.2025 में वर्णित समस्त निर्देशों/शर्तों की पूर्णतः पालना किया जाना सुनिश्चित करावें

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, डीडवाना–कुचामन ब्लॉक मकराना के प्रस्तावों के कार्यो के क्र.सं. 01 में सीबीईओ कार्यालय मकराना हेतु राशि रूपये 2.00 लाख की मांग की गई है, उक्त कार्य नोर्म्स अनुसार देय नहीं है। प्रस्ताव के शेष कार्ये को स्वीकृत किया गया है।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, डीडवाना–कुचामन ब्लॉक कुचामन व मौलासर के प्रस्तावों में दर्शाई गई क्षति की दिनांक एवं वर्षा को सिंचाई विभाग से प्राप्त आंकडों से मिलान किया गया, उक्त वर्षा सही नही पाई गई है एवं अत्यधिक वर्षा/बाढ़ की श्रेणी में नहीं आती है। उक्त प्रस्तावों को स्वीकृत नहीं किया गया है।

Signature valid
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.09.29 12:35:02 IST
Reason: Approved

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांकः– एफ.8(34)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/ जयपुर, दिनांक

<u>प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 67/2025–26</u>

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त **विद्यालय भवनों** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु जिला कलक्टर, **डीडवाना–कुचामन** से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 250 दिनांक 08.09.2025 के आधार पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, डीडवाना–कुचामन ब्लॉक डीडवाना के 162 कार्यो हेतु राशि रूपयें 324.00 लाख, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, डीडवाना–कुचामन ब्लॉक नावां के 106 कार्यो हेतु राशि रूपयें 212.00 लाख, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, डीडवाना–कुचामन ब्लॉक परबतसर के 210 कार्यो हेतु राशि रूपयें 401.50 लाख एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, डीडवाना–कुचामन ब्लॉक मकराना के 130 कार्यो हेतु राशि रूपयें 260.00 लाख **कुल 608 कार्यो की मरम्मत हेतु राशि रूपये 1197.50 लाख (अक्षरे रूपये ग्यारह करोड़ सतयानवे लाख पचास हजार मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

1. विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों के Restoration पर न करें।
2. प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।
3. जिला कलेक्टर विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए बजट की मांग एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार निर्धारित दर से गणना किये जाने के उपरान्त ऑनलाईन विभाग से करें।
4. बजट सम्बन्धित कार्यकारी संस्था को न दिया जाकर जिला कलेक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5. वे कार्य जो Defect LiabilityPeriod के तहत आती है, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है।
6. जिला कलेक्टर बजट की ऑन लाईन मांग किये जाने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवें कि बजट की मांग SDRF नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair &Periodical Repair (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के Restoration हेतु विभाग द्वारा जारी क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जाये।
7. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
8. जिला कलेक्टर स्वीकृत कार्यो को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
9. जिला कलेक्टर उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अ[illegible] [illegible] गया है।
10. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय स[illegible] [illegible] विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाये जावे। क्षति का मुख्य क[illegible] अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल सं[illegible] [illegible]निधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation: Deputy Secretary
Government
Date: 2025.09.24 10:52:36 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17869012
eSign 1.0

11. इस विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे। इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगाः–

2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02– बाढ़, चक्रवात आदि।

107– खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना

(02)–(बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत)

[01]–[बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत]

21–अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेस) (केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत)
(राज्य निधि 25 प्रतिशता)

12. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पाकालीन निविदाए आमन्त्रित कर कार्य कराऐ जा सकेगे।

13. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजनाके दिशा–निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।

14. उक्त राशि का व्यय एसडीआरएफ नोर्म्स में अनुमत राजकीय भवनों के लिये ही किया जावे।

15. विभाग द्वारा स्वीकृत की गई राशि का उपयोग जिन भवनों का उपयोग किया जा रहा है, उन भवनों की मरम्मत हेतु ही किया जावे।

16. निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही जावे। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावेगा।

17. निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावें। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2026 तक राजकोष में जमा करवाई जावें।

18. व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखें जावे।

(शैफाली कुशवाह)
शासन उप सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.09.24 10:52:36 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, **डीडवाना–कुचामन** को प्रेषित कर लेख है कि **एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार आवश्यक बजट की गणना कर बजट की मांग विभाग से ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में करें तथा आपके द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक रूप से ऑनलाईन मांग के साथ अपलोड करावें।**

   मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, डीडवाना–कुचामन ब्लॉक मकराना के प्रस्तावों के कार्यो के क्र. सं. 01 में सीबीईओ कार्यालय मकराना हेतु राशि रूपयें 2.00 लाख की मांग की गई है, उक्त कार्य नोर्म्स अनुसार देय नहीं है। प्रस्ताव के शेष कार्यो को स्वीकृत किया गया है।

   मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, डीडवाना–कुचामन ब्लॉक कुचामन व मौलासर के प्रस्तावों में दर्शाई गई क्षति की दिनांक एवं वर्षा को सिंचाई विभाग से प्राप्त आंकडों से मिलान किया गया, उक्त वर्षा सही नही पाई गई है एवं अत्यधिक वर्षा / बाढ़ की श्रेणी में नही आती है। उक्त प्रसतावों को स्वीकृत नहीं किया गया है।
7. वत्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर को बजट का आवंटन किये जाने हेतु।
8. कोष कार्यालय, डीडवाना–कुचामन।

शासन उप सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.09.24 10:52:36 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17869012
eSign 1.0